

सरबरक

[कायदा 129]

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B', Form No. 8]

22/9/20
22/12/20

Jud./Civi

Part 4

29/12/20

4/2/21

6/5/21

8/7/21

9/9/21

23/12/21

18/1/22

12/4/22

28/06/22

1. नाम अदालत..... S. D. O. लनेडा
2. नियम मुकदमा..... प्रार्थना-पत्र, धारा-111, 128 LR. Act.
3. उतवान मुकदमा..... माहक पिता भागु माली वनाम काना 5% धीसा माली वगे
4. नम्बर व सन् मुकदमा..... 124/0020
5. तारीख दायरा..... 24/7/0020
6. तारीख फैसला..... फसल 20-5-22
7. तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना..... 15/9/20
8. अपील या निगरानी की तारीख फैसला.....
9. किसम मिसल या हिस्सा..... प्रॉ. पत्र
10. किसम रेकॉर्ड..... प्रॉ. सरदार तगर
11. (अ) तारीख जिस पर की हिस्सा 'डी' तलफ करना है.....
- (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया.....
12. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है.....
- (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया.....
13. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना है.....
- (ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया.....



न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

त उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

माधु

बनाम


काना

दमा प्रा.पत्र धारा - 111, 128 LRACT. नं.


124

सन् 0020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुएवकील पार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 LRACTविरुद्ध विपक्षी पेश किया गया । प्रार्थना पत्र बाद जाँचदर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक15/9/20 को पेश हो ।

 उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

15/9/20 पत्रावली पेश हुई। पार्थी वकील उपस्थित
पत्रावली करते अग्रे कार्यवाही दिनांक
22/9/20 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

पत्रावली पेश हुई। पीठरसीन अधिकारी जी
अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक
22/9/20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 124 /2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1-2 माधु, कालु पिता भागु माली निवासी सरदारनगर

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- काना पिता घीसा माली निवासी सरदारनगर
- 2- अर्जुन पिता रामचन्द्र माली निवासी सरदारनगर
- 3- भैरू पिता रामस्वरूप माली निवासी सरदारनगर
- 4- रामप्रसाद पिता रामलाल माली निवासी सरदारनगर
- 5- लाली पत्नी प्रहलाद माली निवासी सरदारनगर
- 6- गणेश पिता लक्ष्मण माली निवासी सरदारनगर
- 7- धन्ना पिता भीया जाट निवासी सरदारनगर
- 8- भैरू पिता रामचन्द्र जाट निवासी सरदारनगर
- 9- तहसीलदार बनेड़ा
- 10- एस०बी०आई० बैंक शाखा सरदारनगर

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 20/05/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सरदारनगर भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1241/2, 1322/5, 1370/2, 2020/1, 2191, 2198/2 कुल कित्ता 6 रकबा 04-13 बीघा के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम सरदारनगर भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1241/2, 1322/5, 1370/2, 2020/1, 2191, 2198/2 कुल कित्ता 6 रकबा 04-13 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातदोरी खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी

15/5

प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सरदारनगर भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1241/2, 1322/5, 1370/2, 2020/1, 2191, 2198/2 कुल किता 6 रकबा 04-13 बीघा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू०अ०निरीक्षक सरदारनगर को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू०अ०निरीक्षक सरदारनगर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय सरदारनगर पर सुनाया गया।

(अशुल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा